




निदेशालय कोषागार देहरादून के माह 04/2018 से 03 2019 तक के कोषागार निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : टी0एम0/टी0आई0/2019-20/59

प्रस्तर	आपत्ति का उद्घरण/निरीक्षण टिप्पणी,	निदेशालय के अधिकारी की टिप्पणी/संस्तुति, हस्ताक्षर मोहर,	महालेखाकार हेतु रिक्त कॉलम,
भाग-2 (ब) प्रस्तर-2 (अ)	<p>निदेशालय कोषागार द्वारा पारिवारिक पेंशनर श्रीमती पदमा देवी को उपादान की कम धनराशि रू0 239205/-का पी0पी0ओ0 जारी किया जाना।</p> <p>निदेशालय कोषागार, देहरादून में पी0पी0ओ0 निर्गत किये जाने वाली पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि पारिवारिक पेंशनर श्रीमती पदमा देवी पत्नी स्व0 श्री शंकर दास को जारी पी0पी0ओ0 में उपादान के भुगतान हेतु धनराशि की गणना त्रुटिपूर्ण है। विवरण इस प्रकार है।</p> <p>परिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती पदमा देवी P.P.O. संख्या : यू0सी0आई09/035/11915 D.O.B. : 10.08.1957 D.O.A. : 02.03.1983 D.O.Death: : 02.11.2007 अर्हक सेवा : 30 वर्ष 02 माह 23 दिन पेंशन हेतु परिलब्धि : रू0 14,630/- P.P.O. के अनुसार उपादान: : रू0 39205/-(D.A@9%) देय उपादान: : रू0 478410/-(D.A@9%) आगणित कम उपादान : रू0 239205/-</p> <p>अतः उक्त पारिवारिक पेंशनर को जारी पी0पी0ओ0 के अनुसार धनराशि रू0 239205/-के कम उपादान की गणना की गई है। इंगित करने पर बताया गया कि निर्देशानुसार संशोधित पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।</p>	<p>उपादान संसोधन के सम्बन्ध में संबन्धित विभाग को निदेशालय के पत्र संख्या 6827 दिनांक 06.02.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। संसोधित प्रपत्र उपलब्ध हो जाने के उपरान्त उपादान का संसोधन किया जायेगा</p> <p>कृपया आपत्ति का निस्तारण करने का कष्ट करें।</p> <p> सहायक लेखाधिकारी निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तरखण्ड, देहरादून</p>	

<p>प्रस्तर-2 (ब)</p>	<p>अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। निदेशालय कोषागार द्वारा पेंशनर श्री रतन कुमार को उपादान की कम धनराशि रू0 5951/-का पी0पी0ओ0 जारी किया जाना। निदेशालय कोषागार, देहरादून में पी0पी0ओ0 निर्गत किए जाने वाली पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि पेंशनर श्री रतन कुमार को जारी पी0पी0ओ0 में उपादान के भुगतान हेतु धनराशि की गणना त्रुटिपूर्ण है। विवरण इस प्रकार है। परिवारिक पेंशनर का नाम : श्री रतन कुमार P.P.O. संख्या : यू0के0/30092012/26969 D.O.B. : 24.09.1952 D.O.A. : 01.03.1974 D.O.R: : 30.09.2012 अर्हक सेवा : 32 वर्ष 03 माह 23 दिन पेंशन हेतु परिलब्धि : रू0 13840 /- P.P.O. के अनुसार उपादान: : रू0 3,80,880 /-(@64 half year) देय उपादान: : रू0 386831 /-(@65 Half year) आगणित कम उपादान : रू0 5951 /- अतः उक्त पेंशनर को जारी पी0पी0ओ0 के अनुसार धनराशि रू0 5951 /-के कम उपादान की गणना की गई है। इंगित करने पर बताया गया कि निर्देशानुसार संशाधित पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>	<p>प्रकरण के सम्बन्ध में विभाग से पत्राचार किया जा रहा है, प्रकरण का परीक्षण किये जाने के उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जायेगा।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">सहायक लेखाधिकारी निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून</p>	
<p>प्रस्तर-3</p>	<p>अवकाश के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि लगाए जाने के कारण वेतन का अधिक भुगतान किया जाना। निदेशालय कोषागार, देहरादून में कार्यरत कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि कुछ कार्मिक</p>	<p>श्री गजेन्द्र दत्त बेलवाल को हुए अधिक भुगतान रू0 2958/- चालान सं0 CPACLOPZI7 दिनांक 07.02.2023 द्वारा एस0बी0आई0 साईबर कोषागार देहरादून के माध्यम से राजकोष में जमा</p>	


निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

दिनांक 23.12.2015 से 04.02.2016 तक की अवधि में हड़ताल पर थे उक्त हड़ताल अवधि को तत्पश्चात उपर्जित अवकाश में परिवर्तित/ नियमित कर दिया गया था। उक्त हड़ताल अवधि को तत्पश्चात उपार्जित अवकाश में परिवर्तित/नियमित कर दिया गया था। नियमानुसार ऐसे कर्मियों की वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 05.02.2016 को की गई जिससे कर्मियों को की जानी चाहिए। किन्तु इन कर्मियों की वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2016 को की गयी जिससे कर्मियों को वेतन का अधिक भुगतान किया गया है विवरण निम्न प्रकार है।

(अ) कर्मिक का नाम: श्री गजेन्द्र दत्त बेलवाल

Due DIN 05.02.2016
 Drawn DNI 01.01.2016
 अवधि दिनांक 01.01.2016 से 04.02.2016 तक
 देय वेतन $(85800+85800 \times 4 / 29) = 97635 +$ मंहगाई
 भत्ता+अन्य भत्ते
 भुगतानित वेतन $(88400+88400) \times 4 / 29 = 100593$ मंहगाई
 भत्ता+अन्य भत्ते
 अधिक भुगतानित वेतन 2958 + मंहगाई भत्ता + अन्य भत्ते

करा दिया गया है। चालान की छायाप्रति सलग्न है।

कृपया पैरा निरस्त करने का कष्ट करें।




सहायक लेखाधिकारी
 निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारों
 उत्तराखण्ड, देहरादून

(ब) कर्मिक का नाम :श्री राजेन्द्र सिंह

Due DIN 05.02.2016
 Drawn DNI 01.01.2016
 अवधि दिनांक 01.01.2016 से 04.02.2016 तक
 देय वेतन $(85800+85800 \times 4 / 29) = 97635 +$ मंहगाई
 भत्ता+ अन्य भत्ते
 भुगतानित वेतन $(88400 + 88400) \times 4 / 29 = 100593 +$
 मंहगाई भत्ता+अन्य भत्ते
 अधिक भुगतानित वेतन 2958+मंहगाई भत्ता+अन्य भत्ते


श्री राजेन्द्र सिंह को हुए अधिक भुगतान रु० 2958 /- चालान सं० CPACLOPQO3 दिनांक 07.02.2023 द्वारा एस०बी०आई साईबर कोषागार, देहरादून के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया गया है। चालान की छायाप्रति सलग्न है।

कृपया पैरा निरस्त करने का कष्ट करें।



सहायक लेखाधिकारी
 निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारों
 उत्तराखण्ड, देहरादून

	<p>इस प्रकार उक्त कर्मियों को वेतन का कुल रु0 5916+मंहगाई भत्ता+अन्य भत्ते का अधिक भुगतान किया गया है। इंगित करने पर उत्तर में बताया गया कि प्रकरण प्रदेश के समस्त कोषागार कर्मियों से सम्बन्धित होने के कारण शासन अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के उपरान्त उचित कार्यवाही की जाएगी। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>		
<p>प्रस्तर-4</p>	<p>निदेशालय कोषागार द्वारा पेंशनर श्री थानेश्वर सिंह की पी0पी0ओ0 त्रुटिपूर्ण निर्धारण पाया गया। निदेशालय कोषागार देहरादून में पी0पी0ओ0 निर्गत किए जाने वाली पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि पेंशनर श्री थानेश्वर पराजुली को जारी पी0पी0ओ0 संख्या R01/UK/29082016/09356 में निम्नलिखित कमिया है— (क) पत्रावली में संलग्न प्रपत्र 1, भाग 5 में सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि दिनांक 19.01.1972 दर्ज है। जबकि पेंशन कैल्कुलेशन शीट (Rev..) में सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि दिनांक 19.01.1974 दर्ज है। (ख) पत्रावली में संलग्न पेंशन कैल्कुलेशन शीट (Rev..) में पेंशन अर्हक सेवा अवधि 02 वर्ष 07 माह 10 दिन दर्ज है।</p>	<p>(क) पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है, कि विभाग द्वारा सरकारी सेवक श्री थानेश्वर पराजुली की नियुक्ति की तिथि 19.01.1974 सही अंकित की गयी है। पत्रावली में संलग्न पेंशन प्रपत्र 1 भाग 5 में विभाग स्तर से त्रुटिवश नियुक्ति की दिनांक 19.01.1974 के स्थान पर 19.01.1972 अंकित की गयी है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन पेंशन पुनरीक्षण प्रपत्रों में सही तिथि दिनांक 19.01.1974 अंकित की गयी है, के आधार पर पुनरीक्षित पेंशन आंगणन शीट में श्री पराजुली की नियुक्ति तिथि 19.01.1974 अंकित की गयी है। ऑनलाइन प्रपत्रों की छायाप्रति संलग्न। (ख) पेंशन कैल्कुलेशन शीट में 2 वर्ष 7 माह 10 दिन की सेवाए पेंशन हेतु अर्हकारी नहीं है, इसलिए पेंशन कैल्कुलेशन शीट में उक्त सेवा अवधि को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाओं में से कम किया गया है।</p>	




 सहायक लेखाधिकारी
 निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
 उत्तरखण्ड, देहरादून

	<p>(ग) पत्रावली में संलग्न पेंशन कैल्कुलेशन शीट(Rev..) एवं प्रात्रता-1 भाग 5 में सेवानिवृत्ति की दिनांक 29.08.2016 दर्ज है। जबकि सेवानिवृत्ति की तिथि माह की अन्तिम दिनांक होनी चाहिए। इंगित करने पर उत्तर में बताया गया कि प्रकरण की जांच करते हुए निर्देशानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी। टतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>	<p>(ग) श्री पराजुली अशासकीय महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। अशासकीय महाविद्यालय में कार्यरत सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति माह के अन्तिम दिवस के बजाय जन्मतिथि में अंकित दिवस (जिस दिन 60 वर्ष की आयु पूर्ण होती है।) के एक दिन पहले सेवानिवृत्त किये जाने का नियम है। इसलिए श्री पराजुली अपने जन्म दिवस दिनांक 30.08.1956 से दिनांक 29.08.2016 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुए हैं। कृपया आपत्ति का निस्तारण करने का कष्ट करें।</p>	
--	--	---	--



सहायक लेखाधिकारी
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

निदेशालय कोषागार देहरादून के माह 04/2019 से 03 2020 तक के कोषागार निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : टी0एम0/टी0आई0/2020-21/08

प्रस्तर	आपत्ति का उद्घरण/निरीक्षण टिप्पणी,	निदेशालय के अधिकारी की टिप्पणी/संस्तुति, हस्ताक्षर मोहर,	महालेखाकार हेतु रिक्त कॉलम,
प्रस्तर-1	<p>उच्च अधिकारियों द्वारा राज्य के कोषागारों का निरीक्षण नहीं किया जाना।</p> <p>निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, में उच्च अधिकारियों द्वारा राज्य के कोषागारों/उपकोषागारों का निरीक्षण किए जाने वाली पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि निदेशक/अपर निदेशक द्वारा राज्य के सभी कोषागारों का निरीक्षण प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया है।</p> <p>वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों/शासनादेश के अनुसार निदेशालय के उच्च अधिकारियों (निदेशक/अपर निदेशक) द्वारा राज्य के कोषागारों का निरीक्षण वर्ष में दो बार, एक बार औचक एवं एक बार पूर्व सूचना देकर किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>उक्त के संबन्ध में निरीक्षण दल को कोषागार द्वारा अवगत कराया गया कि अपर निदेशक, शिविर कार्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 में 20 कोषागारों/उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया एवं उप निदेशक, मुख्यालय द्वारा 2019-20 में 12 कोषागारों/उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया।</p> <p>अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>	<p>निदेशालय के उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर कोषागारों/उपकोषागारों का निरीक्षण किया जा रहा है। साक्ष्य संलग्न अतः प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">अपर निदेशक निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून</p>	
		<p style="text-align: center;"></p>	

सेवानिवृत्ति उपरान्त वेतन वृद्धि स्वीकृति किया जाना।

निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड में श्री जगवीर सिंह नेगी, प्रधानाचार्य के पेंशन अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अधिवर्षता आयु दिनांक 31.07.2018 को पूर्ण करने पर दिनांक 31.03.2019 तक शैक्षिक सत्रांत लाभ पर सेवामुक्त हुये। सेवामुक्त के बाद दिनांक 01.07.2019 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कर वेतन रू0 105900/- निर्धारित किया गया एवं पेंशन उपादान राशिकरण एवं अवकाश नकदीकरण की गणना की गयी।

पेंशनर का नाम- श्री जगवीर सिंह नेगी

पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0/41/31032019/26466

जन्म तिथि- 15.07.1958

नियुक्ति तिथि- 22.12.1983

से0नि0 तिथि- 31.03.2019(सत्रांत लाभ)


अधिवर्षता पर सेवा निवृत्ति तिथि-31.07.2018

उत्तराखण्ड शासन आदेश संख्या

208/xxiv-नवसृजित/2017-09(11)/2008 दिनांक 03.08.2017 के निर्देशानुसार से0नि0 लाभ, अवकाश नकदीकरण एवं वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना किया जाना है। अधिवर्षता आयु पर दिनांक 31.07.2018 को निर्धारित वेतन रू0 102800/-पर पेंशन, उपादान, राशिकरण एवं अवकाश नकदीकरण की गणना किया जाना चाहिए था। 6 वें एवं 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार वेतन निर्धारण की जांच कर वेतन निर्धारण करते हुए निर्धारित पेंशन, उपादान, राशिकरण एवं अवकाश नकदीकरण को संसोधित किया गया जाय। यदि पेंशन उपादान, राशिकरण एवं अवकाश नकदीकरण का अधिक भुगतान किया गया है तो उक्त की वसूली नियमानुसार सुनिश्चित किया जाय।

श्री जगवीर सिंह नेगी को हुए अधिक भुगतान की वसूली नियमानुसार कोषागार स्तर पर माह फरवरी 2022 से की जा रही है। (वार्षिक पेंशन विवरण अवलोकनार्थ संलग्न)
कृपया प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

अपर निदेशक
निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड शासन

<p>उक्त क सम्बन्ध में निरीक्षण दल को निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग से मूल अभिलेख सेवापुस्तिका आदि मंगा कर आपत्तियों की जांच कर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आगामी निरीक्षण दल को प्रस्तुत किया जायेगा। अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>		
<p>5-3 उपादान की राशि 79522/- का कम भुगतान किया जाना। निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड में पेंशन, उपादान एवं राशिकरण की स्वीकृति हेतु प्राप्त अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्न पेंशनरों को सेवानिवृत्ति उपादान का कम भुगतान हुआ है।</p> <p>1. पेंशनर का नाम- श्री विधोत्मा थपलियाल पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0 / 13 / 31082019 / 27535 जन्म तिथि-01.08.1959 नियुक्ति तिथि-13.03.2002 सेवा निवृत्ति तिथि-31.07.2019 सेवा निवृत्ति तिथि के अनुसार अर्हक सेवा अवधि -17 वर्ष 04 माह 17 दिन (34 छमाही)</p> <p>अन्तिम वेतन- रू0 28400 /- भुगतान उपादान राशि-रू0 278320 /- देय उपादान राशि-28400+4828(DA 17%)+ 33228* 34 / 4= रू0 282438 /- अवशेष उपादान की राशि- रू0 282438-278320=रू04118 /-</p> <p>2. पेंशनर का नाम- श्री योगेन्द्र कुमार पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0 / 13 / 31082019 / 27802 जन्म तिथि-01.09.1959 नियुक्ति तिथि-15.12.1981</p>	<p>1. शासनादेश संख्या 593 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार सम्बन्धित कोषागार स्तर पर बढी हुयी दर पर मंहगाई भत्ते की राशि का भुगतान किया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या .6825 दिनांक.06.02.2023.द्वारा उक्त शासनादेश 02.07.2010 के क्रम में समस्त कोषागारों द्वारा प्रतिमाह संकलित सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है। छायाप्रति संलग्न। कृपया प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।</p> <p>प्रस्तर-3 (1) के अनुसार।</p>	<p style="text-align: center;">  अपर निदेशक निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून </p>

	<p>सेवा निवृत्ति तिथि-31.08.2019 सेवा निवृत्ति तिथि के अनुसार अर्हक सेवा अवधि -37 वर्ष 08 माह 15 दिन (66 छमाही)</p> <p>अन्तिम वेतन- रू0 91400/- भुगतान उपादान राशि-रू0 1689072/- देय उपादान राशि-91400+15538(DA 17%)=106938* 66 /4= रू0 1764477 /- अवशेष उपादान की राशि- रू0 1764477-1689072=रू 75405/-</p> <p>उक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण दल को निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 593 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार मंहगाई भत्तों की दरों में वृद्धि होने पर संशोधित उपादान का भुगतान का कार्य कोषागार स्तर से किये जाने का प्राविधान किया गया है। अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>		
<p>प्रस्तर-4</p>	<p>उपादान की राशि रू 280005/-का कम भुगतान किया जाना।</p> <p>उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 593XXvii(7) दिनांक 02.07.2010 के अनुसार मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि होने पर यदि किसी पेंशनर की उपादान/मृत्यु उपादान राशि का संशोधन किया जाना अपेक्षित है, तो यह कार्य कोषागार/उपकोषागार स्तर पर किया जाना निर्धारित है। कोषागार द्वारा उपादान/मृत्यु उपादान की नियमानुसार गणना करके अवशिष्ट उपादान/मृत्यु उपादान की राशि के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड में पेंशन उपादान एवं राशिकरण की स्वीकृति हेतु प्राप्त अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्न पेंशनरों को सेवानिवृत्ति उपादान का कम भुगतान हुआ है।</p> <p>(अ) पेंशनर का नाम- श्री जगत सिंह रावत</p>	<p>1. शासनादेश संख्या 593 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार सम्बन्धित कोषागार स्तर पर बढी हुयी दर पर मंहगाई भत्ते की राशि का भुगतान किया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या .6825 .दिनांक.06.02.2023.द्वारा उक्त शासनादेश 02.07.2010 के क्रम में समस्त कोषागारों द्वारा प्रतिमाह संकलित सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है।</p>	

पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0 / 13 / 31082019 / 23699
जन्म तिथि-05.01.1959
नियुक्ति तिथि-10.04.2006
सेवा निवृत्ति तिथि-31.01.2019
सेवा निवृत्ति तिथि के अनुसार अर्हक सेवा अवधि -12 वर्ष 09 माह 22
दिन (26 छमाही) DA-17%
अन्तिम वेतन- रू0 34300 /-
भुगतान उपादान राशि-रू0 243016 /-
देय उपादान राशि-(34300+1446)*26@4=249704
अवशेष उपादान की राशि- रू0 249704-243016=रू 6688 /-

(ब) पेंशनर का नाम- श्री विजय कुमार
पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0 / 13 / 31082019 / 26133
जन्म तिथि-05.07.1959
नियुक्ति तिथि-11.10.1982
सेवा निवृत्ति तिथि-31.07.2019
सेवा निवृत्ति तिथि के अनुसार अर्हक सेवा अवधि -36 वर्ष 09 माह 19
दिन (66 छमाही) DA-17%
अन्तिम वेतन- रू0 55200 /-
भुगतान उपादान राशि-रू0 1020096 /-
देय उपादान राशि-(55200+9384)*66/4=1065636/-
अवशेष उपादान की राशि- रू0 1065636-1020096=रू 45540 /-

(स) पेंशनर का नाम- श्री द्वारिका प्रसाद उनियाल
पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0 / 13 / 31082019 / 24072

छायाप्रति संलग्न।
कृपया प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

प्रस्तर-3 (1) के अनुसार।

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हफ्तदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

जन्म तिथि-08.01.1959
नियुक्ति तिथि-21.12.1979
सेवा निवृत्ति तिथि-31.01.2019
सेवा निवृत्ति तिथि के अनुसार अर्हक सेवा अवधि -39 वर्ष 01 माह 11
दिन (66 छमाही) DA-12%
अन्तिम वेतन- रू0 57800/-
भुगतान उपादान राशि-रू0 1039533/-
देय उपादान राशि-57800+6936)*66/4=1068144/-
अवशेष उपादान की राशि- रू0 1068144-1039533=रू 28611/-

पेंशनर का नाम- श्री विपीन कुमार
पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0/13/31082019/24103
जन्म तिथि-15.01.1959
नियुक्ति तिथि-21.07.1977
सेवा निवृत्ति तिथि-31.01.2019
सेवा निवृत्ति तिथि के अनुसार अर्हक सेवा अवधि -40 वर्ष 00 माह 18
दिन (66 छमाही) DA-12%
अन्तिम वेतन- रू0 99500/-
भुगतान उपादान राशि-रू0 1789508/-
देय उपादान राशि-99200+11940)*66/4=1838760/-
अवशेष उपादान की राशि- रू0 1838760-1789508=रू 49252/-

पेंशनर का नाम- श्री राजेन्द्र कुमार रावत
पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0/13/31082019/28076
जन्म तिथि-18.07.1959
नियुक्ति तिथि-07.05.1987

प्रस्तर-3 (1) के अनुसार।

प्रस्तर-3 (1) के अनुसार।

प्रस्तर-3 (1) के अनुसार।

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून


सेवा निवृत्ति तिथि-31.07.2019
सेवा निवृत्ति तिथि के अनुसार अर्हक सेवा अवधि -32 वर्ष 02 माह 23
दिन (64 छमाही) DA-17%
अन्तिम वेतन- रू0 59500 /-
भुगतान उपादान राशि-रू0 1066240 /-
देय उपादान राशि-59500+10115)*66/4=1113840/-
अवशेष उपादान की राशि- रू0 1113840-1066240=रू 47600 /-

पेंशनर का नाम- श्री सुरेश कुमार
पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0 / 13 / 31082019 / 24064
जन्म तिथि-15.02.1959
नियुक्ति तिथि-21.11.1983
सेवा निवृत्ति तिथि-28.02.2019
सेवा निवृत्ति तिथि के अनुसार अर्हक सेवा अवधि -35 वर्ष 03 माह 8
दिन (66 छमाही) DA-12%
अन्तिम वेतन- रू0 39200 /-
भुगतान उपादान राशि-रू0 705012 /-
देय उपादान राशि-39200+4704)*66/4=724416/-
अवशेष उपादान की राशि- रू0 724416-705012=रू 19404 /-

पेंशनर का नाम- श्री कोस्तुबा नन्द पाठक
पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0 / 13 / 31082019 / 27467
जन्म तिथि-05.09.1959
नियुक्ति तिथि-13.12.1982
सेवा निवृत्ति तिथि-30.09.2019

प्रस्तर-3 (1) के अनुसार।

प्रस्तर-3 (1) के अनुसार।



अपर निदेशक
निदेशालय कोशवाट, पेंशन एवं हकदारों,
समाजकल्याण, मुंबई


सेवा निवृत्ति तिथि के अनुसार अर्हक सेवा अवधि -33 वर्ष 09 माह 00 दिन (66 छमाही) DA-17%
अन्तिम वेतन- रू0 42800 /-
भुगतान उपादान राशि-रू0 790944 /-
देय उपादान राशि-(42800+7276)*66/4=826254/-
अवशेष उपादान की राशि- रू0 826254-790944=रू 35310 /-



पेंशनर का नाम- श्री उमेश चन्द्रा
पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0 / 13 / 31082019 / 26742
जन्म तिथि-13.07.1959
नियुक्ति तिथि-25.04.1987
सेवा निवृत्ति तिथि-31.07.2019
सेवा निवृत्ति तिथि के अनुसार अर्हक सेवा अवधि -32 वर्ष 03 माह 06 दिन (64 छमाही) DA-17%
अन्तिम वेतन- रू0 59500 /-
भुगतान उपादान राशि-रू0 1066240 /-
देय उपादान राशि-59500+10115)*66/4=1113840/-
अवशेष उपादान की राशि- रू0 1113840-1066240=रू 47600 /-

उक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण दल को निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 593 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार मंहगाई भत्तो की दरों में वृद्धि होने पर संशोधित उपादान का भुगतान का कार्य कोषागार स्तर से किये जाने का प्राविधान किया गया है।
अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-3 (1) के अनुसार।

प्रस्तर-3 (1) के अनुसार।



अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

<p>प्रस्तर-5</p>	<p>श्री नन्दन सिंह रावत को उपादान की राशि रू0 32424/-का अधिक भुगतान किया जाना है।</p> <p>निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड में पेंशन, उपादान एवं राशिकरण की स्वीकृति हेतु प्राप्त अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अर्हक सेवा की गणना 51 छमाही उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 193/XXXVI (3) 2018/27(1) 2018 दिनांक 13.04.2018 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान की दर अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए मासिक परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी की जानी थी जबकि उपादान की गणना अर्हक सेवा की 52 छमाही से गणना की गई है।</p> <p>पेंशनर का नाम- श्री नन्दन सिंह रावत पी0पी0ओ0 संख्या-यू0के0 / 13 / 31082019 / 24626 जन्म तिथि-10.05.1959 नियुक्ति तिथि-01.09.1993 सेवा निवृत्ति तिथि-31.05.2019 सेवा निवृत्ति तिथि के अनुसार अर्हक सेवा अवधि -25 वर्ष 07 माह 00 दिन (51 छमाही) DA-12% अन्तिम वेतन- रू0 115800 /- भुगतान उपादान राशि-रू0 1686048 /- देय उपादान राशि-115800+13896)*51/4=1653624/-</p>	<p>श्री नन्दन सिंह रावत के प्रकरण में मुख्य कोषाधिकारी देहरादून को पत्र संख्या 3696 दिनांक 06.12.2023 को अधिक भुगतानित उपादान की वसूली हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। छायाप्रति संलग्न अतः प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;"></p>

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून



अवशेष उपादान की राशि- रू0 1686048-1653924=रू 32424/-

उक्त के संबन्ध में निरीक्षण दल को निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक-2018 के पैर-6 के द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार छः माह से कम की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा एवं छः माह अथवा छः माह से अधिक की सेवा की गणना को एक वर्ष माना जायेगा। तदनुसार ही सम्बन्धित की उपादान की गणना की गयी है। शासनादेश संख्या उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 193/xxxvi(3)/2018/27(1)/2018 दिनांक 13.04.2018 के पैरा छः अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान की दर अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधिके लिये मासिक परिलब्धियों के आधे के बराबर होगा प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।



अपर निदेशक
निदेशालय कौषागार, चैशन एवं हजदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

निदेशालय कोषागार देहरादून के माह अप्रैल 2020 से वर्ष मार्च 2021 तक के कोषागार निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या टी0एम0/टी0आई/2021-22/14

प्रस्तर	आपत्ति का उद्घरण /निरीक्षण टिप्पणी,	निदेशालय के अधिकारी के टिप्पणी/ संस्तुति, हस्ताक्षर मोहर,	महालेखाकार हेतु रिक्त कॉलम,
1	2	3	4
भाग-2 (ब) प्रस्तर-1	<p>निदेशालय के उच्चाधिकारियों द्वारा राज्य के कोषागारों का निरीक्षण न किया जाना।</p> <p>वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-2 के नियम 469 (ख) के अनुसार निदेशक कोषागार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए अथवा दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर आकस्मिक रूप से होना चाहिए।</p> <p>इस संबंध में निरीक्षित कोषागारों की सूची मांगे जाने पर उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष 2020-21 में नहीं किया गया। अतः निरीक्षण न किये जाने के कारण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>	<p>उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि:- निदेशालय के उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागारों/उपकोषाधिकारों का समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। साक्ष्य संलग्न।</p> <p>अतः प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।</p> <p style="text-align: center;">  अपर निदेशक निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून </p>	
प्रस्तर-2	<p>निदेशालय कोषागार द्वारा कुछ पेंशनरों निर्धारित महंगाई भत्ते की दर पर उपादान की कम धनराशि रु 3,37,522/- का P.P.O. जारी किया जाना।</p> <p>निदेशालय कोषागार, देहरादून में P.P.O. निर्गत किए जाने वाली पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कुछ पेंशनरों को निर्धारित महंगाई भत्ते की दर पर उपादान की कम धनराशि का P.P.O. पर जारी किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 193/XXXVI(3)/2018/27(1) 2018,13 April 2018 के अनुसार प्रत्येक पूर्ण छमाही मासिक परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी।</p> <p>विवरण इस प्रकार है :- (अ) पेंशनर का नाम- श्री चन्द्रशेखर भट्ट P.P.O. संख्या-UK/53/30092020/43615</p>	<p>उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि:- शासनादेश सं0 593 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार संबंधित कोषागार स्तर पर बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान किया जाता है।</p> <p>उक्त के संबंध में निदेशालय के पत्र संख्या-6825 दिनांक-06.02.2023 द्वारा उक्त शासनादेश 02.07.2010 के क्रम में समस्त कोषागार द्वारा प्रतिमाह संकलित सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)</p> <p>कृपया प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।</p> <p style="text-align: center;">  अपर निदेशक निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून </p>	

	<p>D.O.B. - 12.09.1960 D.O.J. - 24.04.1990 D.O.R - 31.03.2021(ACTUAL) 30.09.2020(For Pension Calculation)</p> <p>अर्हक सेवा -21 वर्ष 07 माह 07 दिन अर्हक अर्द्धवर्ष -43 पेंशन हेतु परिलब्धि रू 70,000/ P.P.O. के अनुसार उपादान - रू 8,80425 /-(DA@17%) देय उपादान - रू 9,33,100/- (DA@24%) आगणित कम उपादान - रू 52,675/-</p> <p>(ब) पेंशनर का नाम- श्री उमेश पाल सिंह P.P.O. संख्या-UK/12/31052021/42190 D.O.B. - 25.05.1961 D.O.J. - 01.10.1979 D.O.R - 31.05.2021 अर्हक सेवा -41 वर्ष 07 माह 31 दिन पेंशन हेतु परिलब्धि रू 77,700/- P.P.O. के अनुसार उपादान - रू 14,99,999 /-(DA@17%) देय उपादान - रू 16,41,024/- (DA@28%) आगणित कम उपादान - रू 1,41,025/-</p>	<p>प्रस्तर-2 के अनुसार।</p>	
<p>प्रस्तर-3 OK</p>	<p>निदेशालय कोषागार में पेंशन प्रकरणों में कुल अर्हक सेवा/शुद्ध अर्हक सेवा का त्रुटिपूर्ण पाया जाना। निदेशालय कोषागार देहरादून पेंशन पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि कुछ प्रकरणों में पेंशन गणना शीट में कुल अर्हक सेवा (Total Length of Service) अथवा शुद्ध अर्हक सेवा (Net Qualifying Service) त्रुटिपूर्ण दर्ज है। विवरण इस प्रकार है:-</p>	<p>OK</p>	

(अ) पेंशनर का नाम- श्री शिव मोहन सिंह
P.P.O. संख्या-UK/14/31122020/4339208
D.O.B. - 15.12.1960
D.O.J. - 22.01.1983
D.O.R - 31.12.2020

Total Length of Service - 37 वर्ष 11 माह 10 दिन
Service Not Qualify - 00 वर्ष 00 माह 00 दिन
Net Qualifying Service - 37 वर्ष 11 माह 10 दिन
उक्त प्रकरण में Total Length of Service 37 वर्ष 11 माह 09 दिन दर्ज है।

(ब) पेंशनर का नाम- श्री रोशन लाल बहुगुणा
P.P.O. संख्या-UK/13/31102020/37545
D.O.B. - 27.10.1960
D.O.J. - 12.03.1981
D.O.R - 31.10.2020

Total Length of Service - 39 वर्ष 07 माह 20 दिन
Service Not Qualify - 00 वर्ष 00 माह 00 दिन
Net Qualifying Service - 39 वर्ष 07 माह 20 दिन
उक्त प्रकरण में Total Length of Service 39 वर्ष 07 माह 19 एवं Net Qualifying Service 39 वर्ष 07 माह 08 दिन दर्ज है।

(स) पेंशनर का नाम- श्री आसिफ जावेद
P.P.O. संख्या-UK/13/3112020/38274
D.O.B. - 07.12.1960
D.O.J. - 17.02.1984
D.O.R - 31.12.2020

Total Length of Service - 34 वर्ष 10 माह 15 दिन
Service Not Qualify - 00 वर्ष 00 माह 00 दिन
Net Qualifying Service - 34 वर्ष 10 माह 15 दिन
उक्त प्रकरण में Total Length of Service 34 वर्ष 10 माह 14 दिन दर्ज है।

(द) पेंशनर का नाम- श्री रतन मणि

पेंशन सॉफ्टवेयर में निर्धारित मानकों के आधार पर सेवाएं स्वतः आगणित होती हैं।
उपरोक्त त्रुटि को वर्तमान में पेंशन सॉफ्टवेयर में सही करा लिया गया है।
कृपया प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

प्रस्तर-3 (अ) के अनुसार।

प्रस्तर-3 (अ) के अनुसार।

P.P.O. संख्या-UK/13/31032020/37846
D.O.B. - 03.03.1960
D.O.J. - 16.06.1986
D.O.R - 31.03.2020
Total Length of Service - 33 वर्ष 09 माह 16 दिन
Service Not Qualify - 02 वर्ष 04 माह 19 दिन
Net Qualifying Service - 31 वर्ष 04 माह 27 दिन
उक्त प्रकरण में Total Length of Service 33 वर्ष 09 माह 15 दिन एवं Net Qualifying Service 31 वर्ष 04 माह 26 दिन दर्ज हैं।

(य) पेंशनर का नाम- श्री खेमकरण

P.P.O. संख्या-UK/13/31092020/37893
D.O.B. - 04.09.1960
D.O.J. - 10.07.1980
D.O.R - 01.09.2020
Total Length of Service - 40 वर्ष 02 माह 21 दिन
Service Not Qualify - 00 वर्ष 01 माह 23 दिन
Net Qualifying Service - 40 वर्ष 00 माह 28 दिन
उक्त प्रकरण में Total Length of Service 40 वर्ष 02 माह 20 दिन एवं Net Qualifying Service 40 वर्ष 00 माह 25 दिन दर्ज हैं।
इंगित करने पर बताया गया कि आगामी निरीक्षण दल को अवलोकित कराया जाएगा।
अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-3 (अ) के अनुसार।

प्रस्तर-3 (अ) के अनुसार।

कृपया प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रस्तर-4
(अ)

पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का कम भुगतान किया जाना।
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड,

देहरादून में पेंशन, उपादान एवं राशिकरण की स्वीकृति हेतु संयुक्त सचिव(लेखा) उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त श्री दुर्गा सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी (से0नि0)के प्रेषित प्रकरण की जांच में पाया गया कि पेंशनर के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना रु 75400/-अंतिम परिलब्धि लेते हुए की गयी है, जबकि माह 10/2020 की वेतन पर्ची (Pay Slip) के आधार पर श्री दुर्गा सिंह रावत की अंतिम परिलब्धि रु 77700/- थी। जिसकी गणना के आधार पर श्री दुर्गा सिंह रावत, को सेवानिवृत्ति लाभों का कम भुगतान किया गया।

विवरण

पेंशनर का नाम- श्री दुर्गा सिंह रावत
पी0पी0ओ0संख्या- UK/14/311020/38124
जन्म तिथि - 16.10.1960
नियुक्ति तिथि - 20.11.1979
सेवानिवृत्ति तिथि - 31.10.2020
अर्हक सेवा - 40 वर्ष 11 माह 12 दिन
अंतिम परिलब्धि - रु 77700/- (As per Pay Slip)

(क) पेंशन (अंतिम परिलब्धि का 50%)

देय राशि

रु 77700 × 50% = रु 38850/-

पी0पी0ओ0 के अनुसार निर्धारित राशि- रु 77700/- (राशिकरण से पूर्व)

अन्तर - रु 1150/- (प्रतिमाह)

(ख) उपादान

पी0पी0ओ0 के अनुसार निर्धारित राशि- रु 1455597/-
देय राशि

रु 77700 + 18648(DA@24%)

= रु 96348 × 66/4 = 1589742/-

अवशेष राशि = (1589742 - 1455597) रु 1,34,145/-

निदेशालय में रक्षित पत्रावली के परीक्षण पर ज्ञात हुआ है कि श्री दुर्गा सिंह रावत को अनुमन्य अंतिम वेतन रु. 75400/- के आधार पर समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ यथा पेंशन, उपादान, राशिकरण का आगणन किया गया है, जो सही है। पत्रावली में संलग्न श्री रावत के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जिसमें श्री रावत का अंतिम वेतन 77700/- अंकित है, के संबंध में विभाग से स्थिति स्पष्ट किये जाने के संबंध में पत्राचार की कार्यवाही की जा रही है, तदनुसार स्थिति स्पष्ट हो जाने के उपरांत वस्तुतः स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा।

अपर निदेशक
निदेशालय, लेखा, पेंशन एवं हस्तगत
दोहा, जम्मू, 15/11/2020

(ग) राशिकरण

अंतिम वेतन रु 77700 /-

पेंशन रु 38850 /-

देय राशि

रु 38850×40% = 15540 /-

=15540×12×8.194= 1528017 /-

पी0पी0ओ0 के अनुसार निर्धारित राशि- रु 1482786 /-

अवशेष राशि = (1528017-1482786) रु 45231 /-

निरीक्षण दल द्वारा इंगित किए जाने पर निदेशालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वांछित अभिलेख संबंधित विभाग से मंगाकर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आगामी संपरीक्षा में अवलोकित कराया जाएगा।

प्रस्तर-4

(ब)

Pension

पेंशन उपादान एवं राशिकरण का कम भुगतान किया जाना।

निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून से पेंशन, उपादान एवं राशिकरण की स्वीकृति हेतु राज्य-निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त श्री वी0पी0कोठारी, अनुभाग अधिकारी (सेवानिवृत्त) के प्रेषित प्रकरण की जांच में पाया गया कि पेंशनर को सेवानिवृत्ति लाभों का कम भुगतान किया गया है।

विवरण

पेंशनर का नाम- श्री वी0पी0कोठारी

पी0पी0ओ0संख्या- **UK/13/31032020/37268**

जन्म तिथि - 07.03.1960

नियुक्ति तिथि - 25.11.1997

सेवानिवृत्ति तिथि - 31.13.2020

अर्हक सेवा - 22 वर्ष 04 माह 07 दिन

अंतिम परिलब्धि - रु 66000 /- (As per DDO

Sheet)

इकाई द्वारा प्रस्तुत पत्रावली की जांच में पाया गया कि

श्री वी0पी कोठारी की सेवा पुस्तिका का पुनः परीक्षण किये जाने के संबंध में विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। सेवा पुस्तिका का परीक्षण किये जाने के उपरांत वर्ष 2016 की वेतन वृद्धि के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो जाने के उपरांत अवगत करा दिया जायेगा।

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

दिनांक 31.12.2015 को श्री कोठारी का मूल वेतन रु 22550/- (17750+4800 As per DDO Sheet and Not Sheet) था जिसे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर रु 58600/- (22550×2.57) निर्धारित किया गया परंतु वर्ष 2016 में नियमित वेतन वृद्धि नहीं जोड़ी गई जबकि अंकित विवरण में दिनांक 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019 व 01.01.2020 की नियमित वेतन वृद्धियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2016 में कार्मिक की वेतन वृद्धि रोके जाने व किसी प्रकार की अर्हक सेवा घटाए जाने से संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं पाये गए। इस प्रकार वर्ष 2016 में नियमित वेतन वृद्धि जोड़े बिना रु 66000/- को अंतिम परिलब्धि लेते हुए पेंशन प्रकरण का निस्तारण किया गया, जबकि वर्ष 2016 में नियमित वेतन वृद्धि लेते हुए कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि को रु 68000/- अंतिम परिलब्धि होती।

रु 68000/- अंतिम परिलब्धि के आधार पर श्री कोठारी को पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का कम भुगतान किया गया।

(क) पेंशन (अंतिम परिलब्धि का 50%)

देय राशि

रु 68000 × 50% = रु 34000/-

पी०पी०ओ० के अनुसार निर्धारित राशि- रु 33000/- (राशिकरण से पूर्व)

अन्तर - रु 1000/- (प्रतिमाह)

(ख) उपादान


पी०पी०ओ० के अनुसार निर्धारित राशि- रु 868725/-
देय राशि

रु 68000 + 14280(DA@21%)

= रु 82280 × 45/4 = 925650/-

अवशेष राशि = रु 56925/-

(925650-868725)

	<p>(ग) राशिकरण अंतिम वेतन रु 68000/- पेंशन रु 34000/- देय राशि रु 34000×40% = 13600/- =13600×12×8.194= 1337261/- पी0पी0ओ0 के अनुसार निर्धारित राशि- रु 1297930/- अवशेष राशि = रु 39331/- (1337261-1297930) निरीक्षण दल द्वारा इंगित किए जाने पर निदेशालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वांछित अभिलेख संबंधित विभाग से मंगाकर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आगामी संपरीक्षा में अवलोकित करा दिये जायेंगे। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>		
<p>प्रस्तर-5 OK</p>	<p>आहरण वितरण अधिकारियों/कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा ई-साइन का प्रयोग न किया जाना। उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश सं0 130/xxvii (6)430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा कोषागारों एवं लेखा कार्यालयों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) एवं की व्यवस्था दिनांक 01.04.2019 से लागू कर दी गयी है। 1. IFMS पोर्टल पर तृस्तरीय यूजर्स की व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक यूजर्स की व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक यूजर अपने-अपने आई0डी0 (आधार नम्बर या कर्मचारी कोड नम्बर या अपने मोबाइल नम्बर) व ई-साइन का प्रयोग करके सरकारी लेन-देन के कार्यों को आनलाईन सम्पादित किया जाना है, इसके तहत अब तक कितने कोषागारों/ उपकोषागारों/भुगतान एवं</p>	<p>उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि:- ई-साइन की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। साक्ष्य संलग्न कृपया प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।</p> <p style="text-align: center;">  अपर निदेशक निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून </p>	

लेखा कार्यालयों/ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा ई-साइन का प्रयोग करके सरकारी लेन-देन के कार्यों को आनलाईन सम्पादित किया जा रहा है।

2. IFMS व्यवस्था के अंतर्गत यदि किस व्यक्ति या फर्म के पक्ष में भुगतान की Advice Generate या Voucher No Generate हो जाने के पश्चात् यदि भुगतान फेल हो जाता है तो पुर्नभुगतान की प्रक्रिया क्या प्रक्रिया है। इंगित करने पर अवगत कराया गया कि छानबीन कर अनुपालना सुनिश्चित कर ली जायेगी।

प्रस्तर-6

निदेशालय कोषागार एवं पेंशनर के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वेतन के निर्धारण में अन्तर होना।

पुलिस महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्यरत श्री रमेश कुमार पाल (पुलिस उपाधीक्षक (M) Empllyee code 01007192, P.P.O. No UK/12/3108 2020/35450 के पेंशन प्रकरण में निम्न तथ्य पाये गये:-

जन्म तिथि - 18.08.1960

नियुक्ति तिथि - 27.07.1982

सेवानिवृत्ति तिथि - 31.08.2020

पदोन्नति तिथि - 22.07.2008

1. पदोन्नति पर वेतन निर्धारण (पेंशन आवेदन फार्म) के अनुसार $16340+4600=20940/-$


पदोन्नति पर वेतन निर्धारण (निदेशक, पेंशन एवं हक0) के अनुसार $16340+4800=21140/-$

2. तृतीय ए0सी0पी0 11.07.2009

वेतन निर्धारण (पेंशन आवेदन फार्म) के अनुसार $17620+4800=22420/-$

वेतन निर्धारण (निदेशक, पेंशन एवं हक0) के अनुसार $17640+5400=23040/-$

श्री रमेश कुमार पाल के प्रकरण का पुनः परीक्षण किये जाने के संबंध में विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। प्रकरण का परीक्षण किये जाने के उपरांत वेतन निर्धारण के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो जाने के उपरांत अवगत करा दिया जायेगा।


निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

Pensioner

इंगित करने पर अवगत कराया गया कि आगामी सम्परीक्षा में अवलोकित कराया जायेगा।
अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-7

त्रुटिपूर्ण वित्तीय स्तरान्णयन प्रदान किया जाना।

पुलिस महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्यरत श्री रमेश कुमार पाल (पुलिस उपाधीक्षक (M)Employee code 01007192, P.P.O. No UK/12/310820 20/35450 के पेंशन प्रकरण की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये :-

जन्म तिथि - 18.08.1960
नियुक्ति तिथि - 27.07.1982
सेवानिवृत्ति तिथि - 31.08.2020
पदोन्नति तिथि - 22.07.2008

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण - 16340+4800=21140/-
तृतीय ए0सी0पी0 11.07.2009

ए.सी.पी. पर वेतन निर्धारण - 17640+5400=23040/-
उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग- 07 के शासनादेश सं0 दिनांक 08.03.2011 के बिन्दु- 01 के अनुसार ए0सी0पी0 की व्यवस्था ग्रेड पे -4800 तक के पदधारको के लिए 01.09.2008 से प्रभावी थी।

इसी शासनादेश के बिन्दु 2 (i) (ख) के पुस्तक के अनुसार यदि संबंधित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन के पूर्व अथवा पश्चात् प्राप्ता हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य होगा।

श्री रमेश कुमार पाल के प्रकरण में दिनांक 22.07.2008 को पदोन्नति होने के बाद उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार पदोन्नति के 08 वर्ष बाद अगला

प्रस्तर-8 के अनुसार

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होना चाहिए था जबकि पत्रावली के अनुसार दिनांक 11.07.2009 (पदोन्नति के लगभग 01 वर्ष के अन्दर) अनुमन्य कर दिया गया। इसी आधार पर निर्धारित वेतन के अनुसार पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान किया गया है।

इंगित करने पर अवगत कराया गया कि आगामी सम्परीक्षा में अवलोकित कराया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-8

IFMS Data Base में अभिदाता के जी0पी0एफ0 संख्या अंकित किये बिना अभिदानों की कटौती किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 130/xxvii (6)4030/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) 01 अप्रैल 2019 से लागू कर दी गयी है।

आहरण वितरण अधिकारी (Sub divisional magistrate Bhatwari) के चतुर्थ श्रेणी से भिन्न IFMS जी0पी0एफ0 शैड्यूल माह 07/2019 एवं 12/2019 क्रमशः वाउचर सं0 A20290004, A20290031, एवं A20290020, के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि श्री धीरेन्द्र सिंह Emp code 41008575 के जी0पी0एफ0 मासिक अभिदान की कटौती की गयी है, किन्तु जी0पी0एफ0 संख्या के कॉलम में शून्य अंकित किया है, जबकि कर्मचारी को पूर्व से ही लेखा संख्या RVU-42365 आवंटित थी एवं अभिदान भी दर्ज हुए हैं। उक्त शैड्यूलों में खाता संख्या अंकित न होने के कारण कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून स्तर पर अभिदाता के व्यक्तिगत लेखा संख्या में अभिदान दर्ज नहीं हो सके है।

इंगित करने पर अवगत कराया गया है कि आगामी सम्परीक्षा में अवलोकित कराया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि:-
आहरण वितरण अधिकारी (Sub divisional magistrate Bhatwari) के प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।
अतः प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

अपर निदेशक

निदेशालय कृषि, पेंशन एवं हकदारी

उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रस्तर-9

कार्यालय महादेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रेषित पत्रों पर अनुपालन सुनिश्चित न किया जाना।

कार्यालय महादेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक EDP(F)/Corn.Data Center/2021-22/ 502 दिनांक 05.10.2021

EDP(F)/Corn.Data Center/2020-21/333 दिनांक 03.08.2021, आर.बी.डी. प्रकोष्ठ/पी0ए0जी0/नि0को0 /2021-22/77 दिनांक 09.11.2021 एवं पत्रांक: 37/आर.बी. डी./COA/VOL-F/2021-22/78 दिनांक 22.11.2021 द्वारा प्रेषित पत्रों पर निदेशक कोषागार अतिथि तक अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गयी है।

इंगित करने पर अवगत कराया गया कि आगामी सम्परीक्षा में अवलोकित कराया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि:-
निदेशालय के पत्र संख्या 6401 दिनांक 18.01.2022 द्वारा समस्त कोषागारों/उपकोषागारों को सूचित कर दिया गया है।
साक्ष्य संलग्न।

अतः प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रस्तर-10

वेतन संरक्षण के फलस्वरूप वेतन का सही निर्धारण न किया जाना।

(क) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-II के भाग 2 से 4 में प्रावधान है कि जहां नया पद समान वेतनमान के समयमान वाला हो, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी का वेतन पिछले पद पर अंतिम बार लिए गए वेतन की स्थिति पर की गयी सेवा को नए पद के वेतनक्रम में वेतन वृद्धियों को देने के लिए जोड़ लिया जाएगा।

किन्तु प्रतिबंध यह भी है कि जहां नया पद समान वेतनक्रम वाला हो तो ऐसे सरकारी कर्मचारी का वेतन पिछली बार लिए गए वेतन की अगली स्थिति के नीचे नियत किया जाएगा और मूल नियम-9 (23) (ख) के अधीन व्यक्तिगत वेतन को स्वीकृत करके अन्तर को पूरा किया जाएगा जिसे भावी वेतन वृद्धियों में अंतर्लीन कर दिया जाएगा।

निदेशालय, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून में कार्यरत श्री नवाज शरीफ, वैयक्तिक सहायक की सेवा पुस्तिका व वेतन से संबंधित अभिलेखों

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि:-

वेतन संरक्षण के फलस्वरूप वेतन का सही निर्धारण किया जा चुका है। साक्ष्य संलग्न
पूर्व सेवा से सम्बन्धित अवकाश लेखे को भी वर्तमान में समायोजित कर दिया गया है।

साक्ष्य संलग्न
पूर्व सेवा अवधि को जोड़े जाने की कार्यवाही गतिमान है।
अतः प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

की जांच में पाया गया कि श्री नवाज ने दिनांक 11.02.2019(पू0) को कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण तिथि को इकाई द्वारा लेवल-5 रू0 29200+1800 (PP) में निर्धारित किया गया।

श्री शरीफ जिला एवं सत्र न्यायालय, चमोली, गोपेश्वर से दिनांक 08.02.2019 को तकनीकी त्यागपत्र के आधार पर कार्यमुक्त हुए। कार्यमुक्ति के समय श्री शरीफ का मूल वेतन 31900/- लेवल-5 था। इस प्रकार इकाई द्वारा श्री शरीफ की नियुक्ति के समय मूल वेतन 31900/-29200+2700 (PP) निर्धारित न करते हुए रू. 31000/-(29200+1800) (PP) निर्धारित किया गया। निरीक्षण दल द्वारा उक्त के संबंध में माह जून 2021(वाउचर संख्या A2054004 दिनांक 01.06.2021) में आहरित एरियर गणना शीट प्रस्तुत करने की मांग की गयी, परन्तु इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे उसकी जांच नहीं की जा सकी।

(क) कार्यालय आदेश संख्या 5293/(25)1/नि0को0/वैय0पत्रा/अधिष्ठान/2020, दिनांक 25 जनवरी 2021 द्वारा श्री नवाज शरीफ, वैयक्तिक सहायक द्वारा पूर्व कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, गोपेश्वर चमोली में अंतिम आहरित वेतन को संरक्षित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री शरीफ के अवकाश लेखे में दिनांक 31.12.2018 को 36 दिन का अवकाश शेष था तथा दिनांक 01.01.2019 से 30.06.2019 तक की अवधि हेतु 16 दिन अग्रिम जमा करते हुए 52 दिन शेष दर्शाया गया था। श्री शरीफ द्वारा इकाई में कार्यभार ग्रहण करने पर (दिनांक 11.02.2019) दिनांक 01.03.2019 से अवकाश लेखा बनाते हुए दिनांक 20 मई 2021 को 27 दिन का अवकाश शेष दर्ज था। श्री शरीफ के अवकाश लेखे में पूर्व सेवा का अवकाश तथा पूर्व सेवा अवधि को वर्तमान सेवा अवधि में

	<p>नहीं जोड़ा गया है जबकि वेतन संरक्षण प्रदान किया गया है। निरीक्षण दल द्वारा उक्त के संबंध में जारी आदेशों की मांग की गयी परंतु इकाई द्वारा इस संबंध में कोई आदेश/निर्देश निरीक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किए गए।</p> <p>निरीक्षण दल द्वारा इंगित किए जाने पर निदेशालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए आगामी संपरीक्षा में अवलोकित करा दिये जाएंगे।</p> <p>अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>		
<p>प्रस्तर-11</p>	<p>निदेशालय कोषागार द्वारा 48 उपकोषागारों में सेफ उपलब्ध न कराया जाना।</p> <p>उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या दिनांक 18.01.2013 के अनुसार उपकोषागारों में एकतालक/द्वितालक व्यवस्था को समाप्त करते हुए बैंको में प्रयोग की जाने वाली दो चाबी वाली सेफ कय के निर्देश दिये गये थे। निदेशालय कोषागार, देहरादून द्वारा निरीक्षण दल को सेफ के कय के संबंध में दी गयी सूची के अनुसार 48 उपकोषागारों में अभी तक सेफ उपलब्ध नहीं करायी गयी है।</p> <p>अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>	<p>उक्त के सम्बन्ध में अवगत करान है, कि:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 39/XXVII(6)/2023 दिनांक 18.01.2023 के द्वारा राज्य के कोषागारों/उपकोषागारोंमें स्थापित डबल लॉक /सिंगल लॉक की सुविधा समाप्त कर दी गयी है। (छाया प्रति संलग्न) तथा उपकोषागारों में नयी व्यवस्था लागू किये जाने से पूर्व बैंकिंग इन्डेमिनिटी इश्योरेन्स पॉलिसी किया जाना आवश्यक है। 2. उप कोषागारों से पुलिस गार्ड हटाने से पर्स नकदी/स्टाम्पों की सुरक्षा हेतु कैश सेफ उपलब्ध कराया जाना हैं ऐसे सभी उपकोषागार जो विभागीय/राजस्व के भवनों में स्थापित हैं एवं जहां पर गार्ड रूम विभागीय मानकों के अनुसार बने हुये हैं वहां पर कैश सेफ की आवश्यकता नहीं है। 3. प्रदेश के 20 कोषागार जो किराये के भवनों में संचालित है। एवं वहां पर डबल लॉक मानों के अनुसार नहीं हैं उनके प्रयोगार्थ कैश सेफ कय कर उपलब्ध कराया गया है। <p>अतः उक्तानुसार ऑडिट दल द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निस्तारण करवाने का कष्ट करें।</p>	
<p>-12</p>	<p>कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं का अद्यतन न किया</p>	<p>अपर निदेशक</p>	<p>निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून</p>

जाना।

कार्यालय में कार्यरत 36 अधिकारियों/कर्मचारियों के सापेक्ष लेखापरीक्षा जांच हेतु प्रस्तुत 22 सेवा पुस्तिकाओं की जांच में निम्नलिखित का कमियां पाई गयी-

1. नियमानुसार पूर्ण कलेंडर माह हेतु ही किसी कार्मिक को अवकाश को अवकाश देय (due) होता है। श्री अर्पित वर्मा के अवकाश लेखे में दिनांक 18.09.2021 से 31.12.2021 तक 09 दिन का अवकाश क्रेडिट किया गया है (नियुक्ति तिथि 19.09.2021) जबकि माह सितम्बर 2021 हेतु कोई अवकाश देय न होने के कारण मात्र 08. दिन का अवकाश देय था।
2. आगे कुमार किरण के अवकाश लेखे में दिनांक 14. 07.2016 से 31.12.2016 तक 15 दिन का अवकाश क्रेडिट किया गया है (नियुक्ति तिथि 14.07.2016) जबकि माह जुलाई 2016 हेतु कोई अवकाश ही देय न होने के कारण मात्र 13 दिन का अवकाश देय था।
3. कुमारी खुशबू के अवकाश लेखे में दिनांक 05.07. 2016 से 31.12.2016 तक 15 दिन का अवकाश क्रेडिट किया गया है (नियुक्ति तिथि 05.07.2016) जबकि माह जुलाई 2016 हेतु कोई अवकाश ही देय न होने के कारण मात्र 13 दिन का अवकाश देय था।
4. कुमारी भावना चौधरी व कुमारी स्वाति आनन्द की सेवा पुस्तिका में ग्रेच्युटी के नामांकन प्रपत्र नहीं भरे गए थे।
5. श्रीमती स्वाति चौहान व श्री कोमल प्रसाद उप्रेती की सेवा पुस्तिका में दिनांक 01.01.2020 की वेतन वृद्धि दर्ज नहीं की गयी थी।
6. श्री कोमल प्रसाद उप्रेती को दिनांक 28.06. 2016(नियुक्ति तिथि) से 01.11.2016 तक की सेवा सत्यापित नहीं की गयी थी।
7. श्रीमती शिवानी खन्ना का दिनांक 01.07.2021 श्री उम्मेद सिंह का दिनांक 01.01.2018 व कुमारी स्वाति

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि:-
कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं में पायी गयी कमियों का निस्तारण कर दिया गया है। छाया प्रति संलग्न

कृपया प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तरखण्ड, देहरादून

आनंद का दिनांक 01.0.2020 से अवकाश लेखा सत्यापित नहीं किया गया था।

8. कुमारी श्वेता रानी के उपार्जित अवकाश लेखे के अवलोकन में पाया गया कि कुमारी रानी के अवकाश लेखे में दिनांक 03.04.2021 को 13 दिन का अवकाश अवशेष था। कुमारी रानी द्वारा दिनांक 29.04.2021 से 01.06.2021 तक 34 दिन का अवकाश लिया गया, परंतु अवकाश की प्रकृति दर्ज नहीं गयी थी। जबकि उपार्जित अवकाश लेखे में घटाया गया था।

9. कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में कार्मिकों के फोटो चस्पा नहीं किए गये थे।

10. श्रीमती स्वाति चौहान, कुमारी श्वेता रानी, श्री विपिन वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी, श्री हर्ष कुमार गुप्ता, श्री इतेश रमोला, श्री अर्पित वर्मा, कुमारी खुशबू, श्री योगेन्द्र कुमार व श्री गोपाल बिनवाल की सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि शब्दों में अंकित नहीं की गयी थी।



11. शेष कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाएं संपरीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी जिस कारण संपरीक्षा में उनकी जांच नहीं की जा सकी।

निरीक्षण दल द्वारा इंगित किए जाने तथा अवशेष कार्मिकों की सेवा पुस्तिका की वस्तु स्थिति के संबंध में पूछे जाने पर निदेशालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि शेष आगामी संपरीक्षा में प्रस्तुत कर दी जायेगी तथा अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए आगामी संपरीक्षा में अवलोकित कराये जाएंगे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-13

Head Wise Details (LOP), E-Data

<p>Voucher, Interface Voucher एवं GPF Deduction sheet में एकरूपता का अभाव होना।</p> <p>सा0भ0नि0 लेखा में मुख्य शीर्ष 2015 से संबंधित माह मई 2020 के LOP के Head Wise Details में वाउचर में दर्ज धनराशियों के सापेक्ष E-Data Voucher, Interface Voucher एवं GPF Deduction sheet में एकरूपता नहीं पायी गयी है।</p> <p>वाउचर सं0 A20150001</p> <p>a. Amount in Head wise Details (LOP) = 1,19,000/-</p> <p>b. Amount in Head copy schedule (Interface Vaucher) = 1,19,000/-</p> <p>c. Amount in E-Data schedule = 1,28,100/-</p> <p>Diffrence b/w (b-c) = 9100/-(Excess)</p> <p>उक्त के संबंध में निरीक्षण दल को निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि छानबीन कर अनुपालना सुनिश्चित कर दी जायेगी।</p>	<p>उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।</p> <p style="text-align: center;">  अपर निदेशक निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून </p>
<p>प्रस्तर-14 सा0भ0नि0 अभिदाताओं की वर्ष 2019-20 के ब्याज की गणना भिन्न-भिन्न दर पर किया जाना।</p> <p>निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड में सा0भ0नि0 अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में अभिदाताओं की ब्याज की गणना भिन्न-भिन्न दरों पर की गयी है। जबकि ब्याज की सही दर माह अप्रैल 2019 से माह जून 2019-8 प्रतिशत तथा जुलाई 2019 से माह मार्च 2020-7.9 प्रतिशत है।</p>	<p>उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि:-</p> <p style="text-align: center;">  अपर निदेशक निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून </p>

अभिदाता का नाम- श्री रमेश प्रसाद
लेखा संख्या- GAU/82619
ब्याज की दर- 7.1%

अभिदाता का नाम- श्री जगत मोहन जोशी
लेखा संख्या- GAU/71204
ब्याज की दर- माह अप्रैल 2019 से जून 2019-8%
माह जुलाई 2019 से मार्च 2020-7.9%

अभिदाता का नाम- श्री उम्मेद सिंह
लेखा संख्या- DDN/4279/00003
ब्याज की दर- 7.1%

अभिदाता का नाम- श्री विशाल सोमानी
लेखा संख्या- MEDU/58437
ब्याज की दर- 7.9%

उक्त के संबंध में निरीक्षण दल को निदेशालय द्वारा अवगता कराया गया है कि अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए आगामी संपरीक्षा में अभिलेख अवलोकित करा दिये जायेंगे।

श्री रमेश प्रसाद लेखा संख्या- GAU/82619 वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

श्री जगत मोहन जोशी लेखा संख्या- GAU/71204 इस कार्यालय से स्थानान्तरित हो चुके हैं सम्बन्धित विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री उम्मेद सिंह लेखा संख्या DDN/4279/00003 संसोधन किया जा रहा है।

श्री विशाल सोमानी लेखा संख्या- MEDU/58437 संसोधन किया जा रहा है।

कृपया प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

तर-15 सामान्य अभिदाताओं की ब्याज की गणना कम किया जाना।
निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड में

सा0भ0नि0 अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में ब्याज की गणना कम की गयी है।

वर्ष 2019-20

अभिदाता का नाम- श्री रमेश प्रसाद

लेखा संख्या- GAU/82619

ब्याज-73697 /-

ब्याज (पासबुक के अनुसार)-66064 /-

कम ब्याज - 73697 /-

अभिदाता का नाम- श्री त्रिलोक सिंह नेगी

लेखा संख्या- GAU/69780

ब्याज-134354 /-

ब्याज (पासबुक के अनुसार)-133942 /-

कम ब्याज - 413 /-

वर्ष 2020-21

अभिदाता का नाम- श्री रमेश प्रसाद

लेखा संख्या- GAU/82619

ब्याज-86523 /-

ब्याज (पासबुक के अनुसार)-43267 /-

कम ब्याज - 43256 /-

अभिदाता का नाम- श्री त्रिलोक सिंह नेगी

लेखा संख्या- GAU/69780

ब्याज-143984 /-

ब्याज (पासबुक के अनुसार)-87737 /-

कम ब्याज - 56247 /-

उक्त के संबंध में निरीक्षण दल को निदेशालय द्वारा अवगता कराया गया है कि अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए आगामी संपरीक्षा में अभिलेख अवलोकित करा दिये जायेंगे।

श्री रमेश प्रसाद लेखा संख्या- GAU/82619 वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

श्री त्रिलोक सिंह नेगी लेखा संख्या- GAU/69780 इस कार्यालय से स्थानान्तरित हो चुके हैं सम्बन्धित विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।

तदैव


तदैव

कृपया प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

अपर निदेशक

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी

उत्तराखण्ड, देहरादून

<p>प्रस्तर-16</p>	<p>सा0भ0नि0 मूल पासबुक तथा IFMS GPF STATEMENT में एकरूपता का अभाव होना। निदेशक कोषागार, पेंशन एव हकदारी उत्तराखण्ड में सा0भ0नि0 अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सा0भ0नि0 मूल पासबुक तथा IFMS GPF STATEMENT में एकरूपता नहीं है</p> <p>अभिदाता का नाम- श्री उम्मेद सिंह लेखा संख्या- DDN/4279/00003 वर्ष 2013-14</p> <p>क- मूल पासबुक में 50,000/- का अंतिम निष्कासन दर्ज है जबकि IFMS GPF STATEMENT में दर्ज नहीं है। ख- मूल पासबुक में 2000/-की अग्रिम की वसूली माह अप्रैल तथा माह मई में दर्ज है, जबकि IFMS GPF STATEMENT में दर्ज नहीं है। ग- मूल पासबुक में 25002/- का एरियर माह दिसम्बर में दर्ज है, जबकि IFMS GPF STATEMENT में 25002/- का एरियर माह दिसम्बर में दो बार दर्ज है।</p> <p>वर्ष 2018-19 घ- मूल पासबुक में 29508/- का एरियर माह मार्च में दर्ज है, जबकि IFMS GPF STATEMENT में 27508/- का एरियर माह में दो बार दर्ज है।</p> <p>वर्ष 2019-20 ङ- मूल पासबुक में माह दिसम्बर का अभिदान 29808/- दर्ज है जबकि IFMS GPF STATEMENT में 20,000/- दर्ज है। अभिदाता का नाम- जीवन सिंह लेखा संख्या: - DDN/4279/00002</p>	<p>IFMS GPF STATEMENT में सुधार कर दिया गया है। साक्ष्य संलग्न</p> <p style="text-align: center;">  अपर निदेशक निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून </p>
--------------------------	---	---

वर्ष 2013-14

क- मूल पासबुक में माह जून का अभिलेख 4,500/- दर्ज है, जबकि IFMS GPF STATEMENT में 9,000/- दर्ज है।

वर्ष 2017-18



ख- मूल पासबुक में 27,210/- का एरियर माह दिसम्बर में दर्ज है, जबकि IFMS GPF STATEMENT में 27,210/- का एरियर माह दिसम्बर में दो बार दर्ज है।

वर्ष 2018-19

ग- मूल पासबुक में 31,086/- का एरियर माह मार्च में दर्ज है, जबकि IFMS GPF STATEMENT में 31,086/- का एरियर माह में दो बार दर्ज है।

उक्त के संबंध में निरीक्षण दल को निदेशालय द्वारा अवगता कराया गया है कि अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए आगामी संपरीक्षा में अभिलेख अवलोकित करा दिये जायेंगे।

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का माह 04/2021 से 03/2022 तक का किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या
 एम0/टी0आई/2022-23/50 के लंबित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

प्रस्तर	आपत्ति का उद्घरण /निरीक्षण टिप्पणी,	निदेशालय के अधिकारी के टिप्पणी/ संस्तुति, हस्ताक्षर मोहर,	महालेखाकार हेतु रिक्त कॉलम,
1	2	3	4
भाग-2 (ब) प्रस्तर-1	<p>निदेशालय द्वारा कोषागारों का निरीक्षण न किया जाना।</p> <p>निदेशालय स्तर पर व्यवस्थित कोषाधिकारी द्वारा कोषागारों का किया गया निरीक्षण सम्बन्धी पत्रावली के निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशालय के अधिकारियों द्वारा कुल 13 कोषागारों तथा उनसे सम्बन्धित उप-कोषागारों का केवल आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-2 के नियम 469-क(ख) के नियमों के अनुसार प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार निदेशक, कोषागार एवं लेखा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत जो कि कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिये तथा दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिये। स्पष्ट है कि निदेशालय स्तर से वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तराखण्ड राज्य की सभी 21 कोषागारों तथा उनके अधीनस्थ उपकोषागारों का नियमानुसार विस्तृत निरीक्षण नहीं किया गया तथा कुछ कोषागारों तथा उनके अधीनस्थ उपकोषागारों का आकस्मिक निरीक्षण भी नहीं किया गया। समयानुसार कोषागारों तथा उनके अधीनस्थ उपकोषागारों का निरीक्षण नहीं किये जाने से इनमें हो रही विशेष अनियमितताएं संज्ञान में आने से छूट सकती हैं।</p> <p>कोषागारों तथा उनके अधीनस्थ उपकोषागारों का नियमानुसार विस्तृत तथा आकस्मिक निरीक्षण नहीं किए जाने के कारणों के संबंध में आख्या मांगे जाने पर निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड महामारी के दृष्टिगत तथा उच्चाधिकारियों की व्यस्तता के कारण संपूर्ण निरीक्षण नहीं किया जा सका।</p> <p>उत्तर संतोषजनक न होने तथा निदेशालय द्वारा किये जाने वाले कोषागारों का निरीक्षण एवं अपेक्षित होने के कारण प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>	<p>उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि:- निदेशालय के उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागारों/उपकोषाधिकारों का समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। साक्ष्य संलग्न। अतः प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।</p> <p style="text-align: center;">  अपर निदेशक निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून </p>	
प्रस्तर-2	<p>सिटीजन चार्टर के अनुसार निदेशालय में पेंशन प्रकरणों का निर्धारित समयावधि (01 माह) में निस्तारण न किया जाना।</p> <p>निदेशालय में राज्य के सभी Class I, Class II तथा Aided Schools के सभी कार्मिकों के पेंशन/पेंशन पुनरीक्षण के प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी सभी कार्य निस्तारित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में निदेशालय के Inward Register जो कि system</p>	<p>उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि:- वर्तमान में प्राप्त पेंशन प्रकरणों का निर्धारित 1 माह</p>	

में दर्ज है, के निरीक्षण के दौरान यह बात संज्ञान में आई कि पेंसनरों के पेंशन पत्रावलियों का निस्तारण Citizen Charter में दिए गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित एक माह के अन्दर नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में आख्या मांगे जाने पर निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि एल.एम.एस. सिस्टम में प्रकरण के प्राप्त होने की तिथि अंकित होने के उपरांत प्रकरण के अंतिम रूप से निस्तारण किए जाने की तिथि अंकित है। प्रथम बार प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण आपत्ति में प्रेषित किए जाने व विभाग से आपत्ति के निस्तारण के पश्चात प्राप्त होने की अवधि को एल.एम.एस. सिस्टम में प्रदर्शित होता है।

उपरोक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि Online diary system के Pension Case Type वाले कॉलम में दर्ज Fresh cases के मामलों में भी निस्तारण अवधि निर्धारित अवधि 01 माह से अधिक है।

अतः निदेशालय में पेंशन पत्रावलियों/प्रकरणों का निस्तारण Citizen Charter में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित एक माह की अवधि के भीतर नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

में निस्तारण किया जा रहा है।

अतः प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदार
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रस्तर-3

निदेशक प्रकोष्ठ में संचालित ऑनलाइन केन्द्रीकृत डायरी व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त पत्रों पर कृत कार्यवाही की स्थिति (status) को दर्ज न किया जाना।

निदेशक प्रकोष्ठ में संचालित ऑनलाइन केन्द्रीकृत डायरी व्यवस्था की जाँच करने पर पाया गया कि निदेशालय में प्राप्त पत्रों की उक्त ऑनलाइन डायरी में प्रविष्टि करने के बाद उनको संबंधित अनुभाग/कार्मिक को आंबटित कर प्रेषित कर दिया जाता है। पत्रों पर अपेक्षित कार्यवाही करने के पश्चात उनके निस्तारण/वस्तुस्थिति को दर्ज करने हेतु दिए गए स्थिति (status) वाले कॉलम में उनकी निस्तारण संख्या/वस्तुस्थिति के स्थान पर marked to दर्ज किया जा रहा है, जिससे उनकी निस्तारण तथा निस्तारण की समयावधि का आकलन संभव नहीं हो पा रहा है साथ ही किसी पत्र के निस्तारण अवधि से विलंब होने की स्थिति में उन पर प्रभावी निगरानी कर पाना भी संभव नहीं है।


उपरोक्त के संबंध में आख्या मांगे जाने पर निदेशालय द्वारा केवल चिह्नित पत्रों पर कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया गया किंतु केन्द्रीकृत डायरी व्यवस्था की स्थिति (status) वाले कॉलम में अपेक्षित सुधार के अंतर्गत अंतिम निस्तारण को दर्ज किए जाने हेतु अनुपालना को नोट नहीं किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि:-

डायरी व्यवस्था को अपडेट करने की व्यवस्था की जा रही है।

अतः प्रस्तर निरस्त करने का कष्ट करें।

अपर निदेशक
निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदार
उत्तराखण्ड, देहरादून

	<p>अतः निदेशालय के केन्द्रीकृत डायरी व्यवस्था की स्थिति (status) वाले कॉलम में अपेक्षित सुधार का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>	
<p>प्रस्तर-4</p>	<p>महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या FMG-1/Miscellaneous/2022-23/3289 Date: 05/11/2022 का उत्तर प्रेषित न किया जाना।</p> <p>सामान्य भविष्य निधि के संदर्भ में उत्तराखण्ड राज्य सरकार के अधीन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सा0भ0नि0 के अंतर्गत लिए गए आहरणों का वर्ष 1998 से विवरण प्रदान करने हेतु कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0: FMG-I/ Miscellaneous/2022-23/3289 Date: 05/11/2022 के माध्यम से निदेशालय से अनुरोध किया गया था। इस संबंध में अपेक्षित विवरण निदेशालय द्वारा अभी तक महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है।</p> <p>उपरोक्त प्रकरण में कृत कार्यवाही की अद्यतन वस्तुस्थिति एवं आख्या से अवगत कराए जाने के क्रम में निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित पत्र के संबंध में कार्यवाही गतिमान है।</p> <p>अतः सा0भ0नि0 के अंतर्गत लिए गए आहरणों का वर्ष 1998 से विवरण प्रदान करने हेतु इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र के क्रम में अपेक्षित विवरण के लंबित होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।</p>	<p>उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।</p> <p style="text-align: center;">  निदेशक निदेशालय, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून </p>